न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री गौरव अग्रवाल, आई.ए.एस.
राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 50/2016
दायरा तिथि : 03.06.2016
निर्णय तिथि : 6-12-2017

वादी :–
मांगीलाल पुत्र लालाजी जाति पुरोहित
निवासी बारवा तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण :–
1. प्रभुसिंह पुत्र श्री भंवरसिंह
2. पर्वतसिंह पुत्र श्री भंवरसिंह
3. सुगन कंवर पत्नि श्री भंवरसिंह
4. कंचन कंवर पुत्री भंवरसिंह.
5. लीला कंवर पुत्री भंवरसिंह
6. कमला कंवर पुत्री भंवरसिंह
7. मनरूपसिंह पुत्र श्री भोमाजी
8. देवीसिंह पुत्र भोमाजी
9. गणपतसिंह पुत्र भोमाजी
10. शान्तिदेवी पत्नि श्री भूरसिंह
11. रतनसिंह पुत्र भूरसिंह
12. पृथ्वीराज पुत्र भूरसिंह
13. चन्द्रा पुत्री भूरसिंह
14. किशोरसिंह पुत्र हिम्मताजी तमाम जाति पुरोहित निवासीगण बारवा तहसील बाली जिला पाली (राज0)
15. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

वाद अंतर्गत धारा . 53, 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

:: निर्णय:: दिनांक : 6-12-2017

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। वादी ने वाद अंतर्गत धारा 53, 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्व प्रतिवादीगण पेश कर ग्राम बारवा तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 1069, 1069/1576, 243, 244, 245 कुल खसरा–05 जुमले रकबा 1.34 हैक्टर की घोषणा खातेदारी व प्रतिवादीगण के विरूद्व सार्वकालिक निषेधाज्ञा की मांग की। अपने वाद पत्र में वादी द्वारा इसका आधार यह बताया गया कि वादग्रस्त भूमि वादी के पुश्तैनी भूमि में हिस्से अनुसार बंट में आई हैं, तथा वादी अपने पुर्वजो के समय से काबिज होकर काश्त कर रहा हैं। तथा वादग्रस्त भूमि बारवा के गत् खसरा नंबर 510, 508, 509, 69 मी. बंदोवस्त पुर्व के अधिकार अभिलेखों में वादीं व प्रतिवादीगण के पुर्वजो के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज थी। वादी व प्रतिवादीगण के पुर्वजो के मध्य आपसी बंटवाडा अनुसार वादी पक्ष के हिस्से बंट में ग्राम बारवा स्थित भूमि खसरा नंबर 1069, 1069/1576, 243, 244, 245 कुल खसरा–05 जुमले रकबा 1.34 हैक्टर रही। तथा प्रतिवादीगण के हिस्से बंट में बारवा के हाल खसरा नंबर 831, 832, व 837 की भूमि रही हैं। भूप्रबंधे अधिकारियों द्वारा प्रतिवादीगण के हिस्से बंट की भूमि हाल खसरा नंबर 831, 832, व 837 तो अकेले प्रतिवादीगण के नाम अधिकार अभिलेखों में दर्ज कर दी, एवं वादी के हिस्से बंट की भूमि वादग्रस्त भूमि बारवा के खसरा नंबर 1069, 1069/1576, 243, 244, 245 कुल खसरा–05 जुमले रकबा 1.34 हैक्टर में वादी के साथ प्रतिवादीगण का नाम यथावत् सैटलमेंट पुर्व में दर्ज हिस्सा अनुसार दर्ज कर दिया गया। जबकि वादग्रस्त भूमि अकेले वादी के बंट में पुर्वजो के समय से होने तथा मौके पर भी वादी का ही कब्जा काश्त होने से वादग्रस्त भूमि बारवा के खसरा नंबर 1069, 1069/1576, 243, 244, 245 कुल खसरा–05 जुमले रकबा 1.34 हैक्टर में वादी के साथ, दर्ज प्रतिवादीगण के नाम को विलोपित कर अकेले वादी को खातेदार घोषित किये जाने की डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। अपने वादपत्र के समर्थम में वादी द्वारा गत् खसरा नंबर 69, 524, 508, 509, 510, 517, 526, 198 की भूप्रबन्ध पुर्व की जमाबंदियो की प्रतिया, तथा गत् खसरा नंबर से हाल खसरा नंबर बनने की पुष्टि में मिलान क्षैत्रफल की प्रतिया पेश की गई। तथा बतौर मौखिक साक्ष्य गवाह वादी स्वयं मांगीलाल के बयान कलमबद्व कराये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 01 से 06 एवं 09 से 13 की और अधिवक्ता श्री श्रवणसिंह राठौड ने उपस्थिति दी। प्रतिवादी संख्या 7, 8, 14 दिनांक 29.6.2016 को एक बार न्यायालय में उपस्थित हुये इसके बाद की नियत पेशीयो पर प्रतिवादी संख्या 7, 8, व 14 न तो स्वयं उपस्थित हुये एवं न ही इनकी और से कोई अधिवक्ता ही उपस्थित हुये। जिससे पत्रावली अधिवक्ता श्रवणसिंह राठौड के जबाव के लिये रही। दिनांक 4.01.2017 को प्रतिवादी संख्या 01 से 06 एवं 09 से 13 की अधिवक्ता द्वारा बावजुद पर्याप्त समय अवसर के जबाव पेश नहीं करने से न्यायालय

पेज लगातार.....2

Scanned by CamScanner

द्वारा इनका भी जवाब अवसर बंद करते हुये पत्रावली वादी पक्ष की साक्ष्य में रखी गई। वादी की शहादत के पश्चात् वकुलाय की बहस सुनी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन एवं उभय पक्ष वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् प्रश्नगत् प्रकरण में यह जाहिर हैं कि वादग्रस्त भूमि बारवा के गत् खसरा नंबर 510, 508, 509, 69 भी. बंदोवस्त पुर्व के अधिकार अभिलेखों में वादी व प्रतिवादीगण के पुर्वजो के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज थी। जिसकी पुष्टि भू0प्रबन्ध पुर्व की जमाबंदियों में दर्ज प्रविष्टियो से होती हैं। बंदोबस्त कार्यवाही के दौरान् भूप्रंबन्ध अधिकारियों द्वारा प्रतिवादीगण के हिस्से बंट की भूमि हाल खसरा नंबर 831, 832, व 837 तो अकेले प्रतिवादीगण के नाम अधिकार अभिलेखों में दर्ज कर दी, एवं वादी के हिस्से बंट की भूमि वादग्रस्त भूमि बारवा के खसरा नंबर 1069, 1069/1576, 243, 244, 245 कुल खसरा–05 जुमले रकबा 1.34 हैक्टर में वादी के साथ प्रतिवादीगण का नाम यथावत् सैटलमेंट पुर्व में दर्ज हिस्सा अनुसार दर्ज कर दिया गया। जिसकी पुष्टि भू0प्रबन्ध पश्चात् की जमाबंदियो एवं वर्तमान जमाबंदियो में दर्ज इन्द्राजो से होती हैं। जबकि मौके पर पुर्वजो के मध्य किये हिस्से बंट अनुसार वादी का कब्जा काश्त हैं।

अतः वादी स्वीकार किया जाता हैं। वादग्रस्त भूमि ग्राम बारवा तहसील बाली के हाल खसरा नंबर 1069, 1069/1576, 243, 244, 245 कुल खसरा–05 जुमले रकबा 1.34 हैक्टर का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 के तहत वादी को खातेदार घोषित किया जाता हैं। वादी के नाम घोषित की जा रही खातेदारी भूमि में प्रतिवादीगण दखलन्दाजी नही करे इस हेतु प्रतिवादीगण के विरूद्व धारा 188 के तहत सार्वकालिक निषेधाज्ञा की डिक्री जारी की जाती हैं। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री अनुसार रेकर्ड में अमल दरामद के लिये तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, बारवा को लिखा जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(गौरव अग्रवाल)
उपखण्ड अधिकारी
आई.ए.एस.

निर्णय आज दिनांक 6-12-2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, बाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली

Scanned by CamScanner